भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, न दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

सं0 आर -10/एटोमिकएनर्जी/1/2006/एसटी/एसएसडब्ल्यू/आर.यू.-III

दिनांक : 03-10-2013

सेवा में,

सचिव,
परमाणु ऊर्जा विभाग,
अनुशक्ति भवन,
सीएसएम मार्ग,
मुम्बई-400001

विषय: परमाणु ऊर्जा विभाग में एएमआईई अतिरिक्त योग्यता आधार पर वैज्ञानिक सहायक से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड पर पदोन्नति के लिए रियायत एवं आरक्षण के संबंध में श्री एन.एल. मीणा वैज्ञानिक सहायक (डी), हेवी वाटर प्लांट, परमाणु ऊर्जा विभाग, रावतभाटा, कोटा, राजस्थान का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 11.09.2013 को पूर्वाहन 11.30 बजे आयोग में हुई बैठक/चर्चा के संदर्भ में बैठक की **कार्यवाही** की प्रति संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध किया जाता है कि मामले में बैठक की कार्यवाही पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को 20 दिनों की अवधि में भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति कार्रवाई की प्रति सहित

1 श्री एन.एल.मीणा, मकान न. 31/185, हेवी वाटर प्लांट कॉलोनी, पोस्ट-भाबा नगर, रावतभाटा, वाया-कोटा, राजस्थान-323307

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति : 1- PS to Member (BLM).
2- PPS to JS.
3- SSA (NIC).

सं0 आर –10/एटोमिकएनर्जी/1/2006/एसटी/एसएसडब्ल्यू/आर.यू.-III

परमाणु ऊर्जा विभाग में एएमआईई अतिरिक्त योग्यता आधार पर वैज्ञानिक सहायक से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड पर पदोन्नति के लिए रियायत एवं आरक्षण के संबंध में श्री एन.एल. मीणा वैज्ञानिक सहायक (डी), हेवी वाटर प्लांट, परमाणु ऊर्जा विभाग, रावतभाटा, कोटा (राजस्थान) के मामले पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा के समक्ष दिनांक 11.09.2012 को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई बैठक/सुनवाई की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	श्री भैरू लाल मीणा	सदस्य
2.	श्री के.डी. बन्सौर	उप निदेशक
3.	श्री हरि राम मीणा	वरिष्ठ अन्वेषक
4.	श्री जे.के. सिन्हा	परामर्शक

परमाणु ऊर्जा विभाग

1.	डा0 सी.बी.एस. वेंकटरमना	अतिरिक्त सचिव
2.	श्री निरंजन कुमार	उप सचिव

प्रार्थी

1. श्री एन.एल. मीणा

पृष्ठभूमि

दिनांक 14.08.2012 को आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ किए गए पत्राचार के अनुसार आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरू लाल मीणा द्वारा प्रकरण पर विचार करते हुए मामले में चर्चा करने हेतु सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 11.09.2013 को पूवाह्न में 10.30 बजे आयोग में बुलाया।

चर्चा

सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 10.09.2013 के अनुरोध के अनुसार डा0 सी.बी.एस. वेंकटरमना, अतिरिक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग दिनांक 11.09.2013 को माननीय सदस्य के समक्ष उपस्थित हुए एवं जानकारी दी कि परमाणु ऊर्जा विभाग में वर्ष 2008 में बनाये गए फास्ट ट्रैक पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के

11/01/2013

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है तथा आयोग में हुई पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार श्री एन.एल.मीणा के उक्त कोर्स में लिखित परीक्षा में बैठाया गया जिसमें श्री मीणा उत्तीर्ण प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाए।

इस संबंध में अतिरिक्त सचिव के ध्यान में लाया गया कि वर्ष 2003 से वर्ष 2008 तक पदोन्नति के लिए दावेदारी में श्री मीणा का नाम शामिल न करने के क्या कारण थे जबकि उसके पास डिप्लोमा के साथ–साथ डिग्री की योग्यता थी। आयोग ने पाया कि विभाग द्वारा राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन के वर्ष 2004 में 10 वैज्ञानिक सहायकों को वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड के लिए पदोन्नत किया गया जिन्होंने एएमआईए परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये थे। दूसरी ओर हेवी वाटर प्लांट कोटा के 3 वैज्ञानिक सहायकों को वर्ष 2007 में, को वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड के लिए पदोन्नत किया गया जो कि केवल डिप्लोमा धारी थे, किन्तु विभाग द्वारा वर्ष 2004 से अब तक उनको वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड के लिए पदोन्नति नहीं दी जा रही है जबकि उसके पास डिप्लोमा एवं डिग्री की योग्यता थी तथा विभाग द्वारा वर्ष 2004 में पदोन्नति हेतु डीपीसी में अर्हताएं होने पर भी उनके नाम को शामिल नहीं किया गया।

अतिरिक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को आयोग द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का संज्ञान कराने पर आश्वासन दिया कि उक्त मुद्दे की वह जाचं करेंगे कि श्री एन.एल. मीणा को वर्ष 2003 से 2008 तक में की गयी पदोन्नतियों में क्यों नहीं विचार किया गया। वह यह भी जांचेंगे कि श्री मीणा से कनिष्ठ व वरिष्ठ अभ्यार्थियों को उक्त अवधि में पदोन्नति का लाभ मिला तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने उपरोक्त पदोन्नति में आरक्षण नीति का पालन किया या नहीं।

आयोग ने अतिरिक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को सलाह दी कि वे इस मामले की जानकारी आयोग को 20 दिनों में भिजवाएंगे।

1/10/2013

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi